Volume: 1 Issue: 2 Pages: 31-33

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 3.133

Received: 14/September/2021 Int. J Res. Acad. World. 2021; 1(2):31-33 Accepted: 21/October/2021

महिला सशक्तिकरण विधिक व प्रशासनिक आयामः भारत के विशेष संदर्भ में

*[1]डॉ. राजेश कुमार मीणा

*[1]सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है, जिसमें महिला आपने जीवन संबंधित समस्त निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है, जहां महिलाएं आपने परिवार एवं समाज के सभी बधनों से मुक्त हो कर अपने निर्णय की निर्माता स्वयं हो। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि प्राचीन भारत में लैगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं के उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से उनके साथ लैगिंक भेदभाव किया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा भी हुई। केवल भारत में ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी महिलों के प्रति लैंगिक भेदभाव देखा जा सकता है। भारतीय समाज में वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं से संबंधित बुरी प्रथाओं को समझना और उन्हें रोकना होगा, जो कि समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि महिलाओं के प्रति विद्यमान परम्परागत सोच को बदले तथा इसके साथ–साथ संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों में भी आवश्यक परिवर्तन करना होगा। कानूनी अधिकारों के साथ–साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम इस प्रकार है–प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दहेज रोक अधिनियम 1961. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम 1987. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम 2013, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, लिंग परीक्षण तकनीकि (नियंत्रण और गलत इस्तेमाल के रोकथाम)अधिनियम 1994 इत्यादि।

मुख्य भाब्दः महिलाएँ और समाज, लैगिक असमानता, संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान।

प्रस्तावना

भारत में महिला सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि

आर्यकालीन संस्कृति में स्त्री को समानता का दर्जा दिया गया। स्त्री समाज के प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक एवं विभिन्न अनुष्ठानों में पुरूष के बराबर सम्मान दिया जाता था। मौर्ययुग में स्त्रियों स्वतत्र एवं संतुष्ट थी। चन्द्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षण का कार्य सशक्त महिलाओं को सौपा गया था। गुप्तकाल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सम्पन्न परिवारों की कन्याओं को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। विदेशी आक्रमणकारियों के देश में आने के साथ ही स्त्रियों पर स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकारों का हनन होने प्ररम्भ हो गया। समाज ने धीरे–धीरे अपने कृत्यों को धर्म का नाम देकर स्त्रियों के जीवन को कष्टप्रद बना दिया।

राजा राममोहन राय एवं अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा को सुधारने के लिये कानून का सहारा लिया। फलस्वरूप सन् 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगी और 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ।

महात्मा गांधीजी महिलाओं की आंतरिक शक्ति व क्षमताओं को पुरुषों की क्षमता के समान मानते थे। गांधी जी महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों के बंधन से बाहर निकाल कर उनकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते थे। उन्ही को प्ररणा स मृदुला बहन साराभाई ने अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ मिलकर एक सस्था की स्थापना की जिसका नाम ज्योतिसंघ रखा गया। इस तरह की और भी संस्थाओं की स्थापनाएँ हुई जो निम्नानुसार है–

1. "स्वाश्रयी कामदार महिला संघ" इस सस्था की नीव महात्म गांधीजी के विचारों एवं सिद्वातों पर आधारित है। वे चाति थे कि महिलाओं का सर्वागीर्ण विकास हो।

*Corresponding Author: डॉ. राजेश कुमार मीणा

2. "विवकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी" यह केन्द्र आध्यात्मिक एवं समाजसेवी संगठन पूरे देश में समाज सेवा का कार्य करता है।
3. "रॉयल सीमा सेवा समिति" आन्ध्रप्रदेश के रॉयल सीमा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण निर्धन महिलाओं और बच्चों के विकास के उद्देशय हेतु 1981 में एक एन०जी०ओ० की शुरुआत की गयी।
4. "समाज कार्य और अनुसंधान केन्द्र" तिलोनिया, अजमेर में स्थित है। यह राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं विशेष कर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रहा है।
5. "उद्योगिनी"–नई दिल्ली में गरीब महिलाओं और बालकों के कल्याण कार्यक्रमों के लिये यह सगठन कार्यरत है। उपर्युक्त संगठनों/संस्थाओं/केन्द्रों एवं कानून के प्रयास से महिला सशक्तिकरण को गति मिली है। इन सबका उद्देश्य महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर उनकों समाज में यथोचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा दिलाना है।

महिला सशक्तिकरण में सहायक अधिनियम

अधिनियम जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय प्रदान करने की दृष्टि से बनाये गये है, इनका एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है–

1. महिलाओं को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम।
2. महिलाओं सामाजिक संरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम।
3. महिलाओं से सबंधित अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान।

उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार मुख्य कानूनों की सारपूर्ण विवेचना निम्नानुसार है।

1. महिलाओं को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम–

- **कारखाना अधिनियम 1948:** इस अधिनियम में महिलाओं तथा बालिकाओं को कारखानों में काम करते समय सुरक्षा प्रदान करने के विशेष प्रावधान किये गये है।
- **न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948:** इस अधिनियम में महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों के समान वेतन प्रदान करने तथा सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध करावाने का प्रावधान किया गया है।
- **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948**: इस अधिनियम में महिला कर्मचारी को राज्य बीमा से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान है।
- **बागान श्रमिक अधिनियम 1951:** इस अधिनियम में बाग–बगीचों में श्रम करने वाली महिला श्रमिकों की सुरक्षा के विभिन्न प्रावधान किये गये है।
- **बधुआ श्रमक प्रणाली (उन्मूलन) आधनियम 1976:** इस आधनियम के द्वारा बधुआ महिलाओं को श्रम के कार्य करवान से मुक्त करवाने की व्यवस्था की गई है।

2. महिलाओं को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम–

1. परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं है। अधिनियम की धारा–3 के अनुसार भारत में कुटुम्ब/परिवार न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था है। धारा–23 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के प्रावधान है।
2. **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925:** इस अधिनियम भारतीयों के उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान है।
3. **हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956:** यह अधिनियम हिन्दू धर्म को मानने वाले शैव लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बौद्ध, जैन एव सिख हो तथा जो धर्मतः मुस्लिम, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी न हो। इस अधिनियम की धारा–3 में इस अधिनियम से सबंध रखने वाली परिभाषाओं की जानकारी दी गई है।
4. **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (गर्भपात) अधिनियम 1971:** इस अधिनियम में महिलाओं के द्वारा उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से गर्भ का समापन कराने सबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
5. **बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929:** इस अधिनियम में बाल विवाह के नियत्रण सबधी प्रावधान है।
6. **हिन्दू विवाह अधिनियम 1955:** हिन्दू धर्म के अन्तर्गत आने वाले समाजों पर यह विवाह अधिनियम लागू होता है।
7. विशेष विवाह अधिनियम 1954
8. **भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969:** यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम मं 62 धाराएं है।
9. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012:** यह अधिनियम 19 जून 2012 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीडन और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।
10. **महिला विरोधी घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005:** यह अधिनियम एक दीवानी अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करवाना है। इस अधिनियम के प्रावधान इस मान्यता पर आधारित है कि "महिलाओं को भी एक हिंसा मुक्त पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिये।"
11. **कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013:** यह कानून कार्य स्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सरक्षण देने के लिए बनाया गया है। यौन उत्पीड़न के कारण भारत में महिलाए सविधान में दिये गये

अपने समानता के अधिकार (धारा–14 व 15), जीवन की रक्षा तथा सम्मान से जीवन जीने के अधिकार (धारा–21) एवं व्यसाय करने की स्वतंत्रता के लिए तथा कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण के न होने से उनके कार्य करने में बाधा को रोकने के लिए बनाया गया है।

3. महिलाओं से संबंधित अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान

1. अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के उत्पीड़न से सुरक्षा से सबंधित विभिन्न प्रावधान है। धारा–125 के अनुसार व्यक्ति को पत्नी, संतान एवं माता–पिता के भरण पोषण के लियेआदेश दिया गया है। धारा–126 में भरण पाषण के आदेश की प्रक्रिया का उल्लेख है। धारा–127 में भत्ते में पारवतन संबंधित प्रावधान है।
2. भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–304 (ख) में दहेज मृत्यु की विवेचना की गई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–354 में महिला के शील भंग करने के आश्य से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल के प्रयोग के सबंध में विवरण है।
3. अपहरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–363 से 368 तक अपहरण संबंधी प्रावधान है।
4. वेश्यावृति के लिये क्रय विक्रय–भारतीय दण्ड संहिता की धारा–372 व 373 में महिला का वेश्यावृति के लिये क्रय विक्रय संबंधी प्रावधान है।
5. बलात्कार–भारतीय दण्ड संहिता की धारा–375 में बलात्कार के अपराध संबंधित प्रावधान है।

उपर्युक्त के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–405 व 406 के अन्तर्गत स्त्रीधन व अपराधिक न्यास भंग, धारा–493 से 496 तक द्विविवाह, धारा–497 से 498 में एवं धारा 498क में पति अथवा नातेदारों द्वारा महिला के साथ किये जाने वाले अपराध का विवेचन है।महिलाओं को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनकी अधिकारिता को बल पहुँचाने के लिए 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन सत्र 1993 द्वारा महिलाओं को राजनीतिक जीवन संरचना में पहुँचाने एवं उनकी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की पहल की गई है।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों का हनन करने वाली पुरुष प्रधान लैंगिक भेदभाव वाली सोच को समाप्त करना होगा। महिलाओं से संबंधित दहेज प्रथा, यौन हिंसा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृति, मानव तस्करी, लैंगिक भेदभाव इत्यादि घटनाये महिलाओं में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अन्तर उत्पन्न करने में सहायक है। भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।भारतीय समाज में वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं से संबधित कुप्रथाओं को समझना और उन्हे रोकना होगा, जो कि समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि महिलाओ के प्रति विद्यमान परम्परागत सोच को बदले तथा इसके साथ–साथ संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों में भी आवश्यक परिवर्तन करना होगा।

संदर्भ सूची

1. डॉ० करणा पाण्डेय, बदलता हुआ भारतः लैंगिक न्याय के लिये नवीन कानून, ह.च.मा., राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (2014)
2. आर० बोहरा, भारतीय समाज और महिला विकास कार्यक्रम, सागर पब्लिकशर्स, जयपुर (2013)
3. शोभा राजोरिया, महिला और कानून, ब्लू स्टर, इन्दौर (2011)
4. डॉ. एम. एल. गुप्ता नारीवाद और संस्कृति" (प्रकाश बुक डिपो, 2000)
5. डॉ. जे. पी. माथुर "नारीवादी दर्शन" (शारदा पब्लिकेशन्स, 1995)
6. डॉ. मोहन सिंह "नारीवादः एक समीक्षा" (किताब घर प्रकाशन, 2015)
7. डॉ. पी. सी. जैन "नारीवाद और शिक्षा" (श्री प्रकाशन, 2010)